ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः—17/2019 प्रार्थना पत्र
ी भंवरलाल पिता लालू जी विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी शंकरलाल पिता लालू जी विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
स्थान)

---प्रार्थीगण

बनाम

ी सोहनलाल पिता लालू विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी शांतिलाल पिता गोपीलाल विश्नोई, उम्र बालिग निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा
ी बालूलाल पिता नगजीराम विश्नोई, उम्र बालिग निवासी गणेश मंदिर के पास, पुर तहसील व
जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः—28.08.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान ाजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पुर ार हल्का पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 8086, 8087, 8088, 8089, , कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 01 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण दित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2019 को पंजीबद्व किया जाकर े सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2, 3 व 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण संख्या 2, 3 व 4 उपस्थित नही। विपक्षीगण संख्या 2, 4 को कितनी ही मर्तबा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण क 06.02.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेशा दिया गया हैं। विपक्षी संख्या 1के न बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिकार श्री रामेश्वरलाल विजयवर्गीय, एडवोकेट ने दिनांक 27.5.2019 को प्रस्तुत किया, तथा जवाब हेतु र चाहा गया। वकील विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 17.7.2019 को उपस्थित होकर कथन किया कि ना पत्र के खण्डन में जवाब प्रस्तुत किया जाकर नकल वकील प्रार्थीगण को दी जा चुकी हैं। तथा न किया कि विवादित आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड तथा विपक्षी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा हैं। विपक्षी संख्या 1 के 1/3 हिस्से की पत्थरगढ़ी कराने कोई अधिकार प्रार्थीगण को विधि अनुसार नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त ाया जावें।

वकील प्रार्थीगण ने बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की ाजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते समय ना बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जबकि विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के खण्डन में प्रस्तुत जवाब के आधार देत आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हैं। तथा विपक्षी 1 का 1/3 हिस्सा हैं। विपक्षी संख्या 1 के 1/3 हिस्से की पत्थरगढ़ी कराने का कोई अधिकार ण को विधि अनुसार नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज किया जावें।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों की बहस पर मनन किया विवादित आराजियात ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हैं। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी की नकल 2069 से 2072 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित जियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थीगण एवं विपक्षी 1 प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा हैं। उसी हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे जेससे यह ज्ञात नहीं होता है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के हक व हिस्से की कौन–कौन आराजी है, जब तक प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 के मध्य विभाजन होकर राजस्व रेकार्ड में –अपने हक व हिस्से की आराजियात का अंकन नहीं हो जाता है तब तक पत्थरगढ़ी नहीं की जा ो हैं। इन तथ्यों की ताईद विपक्षी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब से होती हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में ल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में असफल रहने के कारण ण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का खारीज किया जाता हैं।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सु गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner